भारतीय मानक ब्यूरो 9, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली -110002

संदर्भ: प्रशा0/02/04/2014

दिनांक 04 मार्च 2014

## निविदा आमंत्रण सूचना

विषय: डॉक्टर को अनुबंध करने हेतु निविदा

## 1. बोलियां आमंत्रण हेतु सूचना

मुहरबंद बोलियाँ, द्विबोली प्रणाली के तहत् (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) द्वारा भा मा ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली में सभी कार्यालय-दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) को 1400 बजे से 1700 बजे तक भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों के लिए योग्य डॉक्टरों से उनकी सेवाओं जैसे परामर्श, एमरजेंसी मेडिकल/माइनर सर्जिकल इलाज, फर्स्ट-एड/ड्रैसिंग इत्यादि जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने हेत् आमंत्रित की जाती है।

- 2. निविदा दस्तावेज जारी करना
- 2.1 तालिका -2 में दर्शाई गई अविध के दौरान "रिक्त निविदा दस्तावेज" कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगा।
- 2.2 निविदा दस्तावेज ब्यूरो (<u>www.bis.org.in</u>) की वेबसाइट से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।
- 2.3 बोलीदाता अपनी बोली की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी सभी खर्चों को स्वयं वहन करेंगा । ब्यूरो किसी भी स्थिति में, बोली प्रक्रिया चलाने या इसके परिणाम पर ध्यान दिए बिना, इनके खर्चों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 3 बोली/संविदा की भाषा: बोली की भाषा अंग्रेजी/हिन्दी होगी तथा सभी पत्राचार इत्यादि अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में होंगे ।
- 4 बोलियों की वैधता
- 4.1 बोलियाँ इसके खुलने की तारीख से 60 दिनों हेतु वैध रहेगी ।
- 5 बयाना राशि /बोली प्रतिभूति
- 5.1 बोलीदाता ब्याजमुक्त 'बयाना राशि जमा' (EMD) के रूप में तालिका-2 में दर्शाई गई रकम ब्यूरो के पास जमा करेंगे । बयाना राशि भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में जमा की जाएगी ।
- 5.2 बयाना राशि जमा करने से चूकने या त्रुटि करने पर बोली के लिए डिस्क्वालीफाई होगा तथा ब्यूरो ऐसी डिस्क्वालीफाईड बोली/बोलियों पर विचार नहीं करेंगा।

- 5.3 बोलीदाता बोली की वैधता अविध के दौरान ब्यूरो की सहमित के बिना अपनी बोली रिवोक नहीं या इसकी शर्तों और निबंधनों में भिन्नता नहीं करेगा । यदि बोलीदाता बोली रिवोक करता है या इसकी शर्तों एवं निबंधनों में परिवर्तन करता है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि उसके अन्य अधिकारों तथा रेमेडी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ब्यूरों उसे जब्त कर लेगा तथा बोली दाता को ऐसे प्रतिसंहरण की तिथि से अगले चौबीस (24) माह के दौरान ऐसी सेवाओं के लिए ब्यूरों में बोली प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित कर देगा।
- 5.4 यदि सफलतम बोलीदाता निर्धारित समय-सीमा के भीतर पर्फोर्मेंस सिक्योरिटी भुगतान नहीं करता या एग्रीमेंट बॉण्ड को हस्ताक्षरित से चूकता है तो ब्यूरो बयाना राशि जमा को जब्त कर लेगा।
- 5.5 सफलतम बोलीदाता द्वारा बोली की वैधता तिथि की समाप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर अपेक्षित पर्फोर्मेंस सिक्योरिटी ब्यूरो के पास भेजने तथा संविदा के हस्ताक्षरित होने के बाद, जो भी पहले हो, असफल बोलीदाताओं को बयाना राशि वापिस कर दी जाएगी।

### 6. योग्य बोलीदाता

6.1 केवल वे बोलीदाता, जो तालिका -2 में दर्शाए गये योग्यता-मानदण्डों को पूर्ण करते है, सेवाओं हेतु अपनी बोलिया प्रस्तुत करने के योग्य होगें ।

## 7. बोली प्रस्तुतीकरण के तरीके

- 7.1 पूर्ण बोली तालिका -1 में दर्शाए अनुसार, बोली बॉक्स के माध्यम से या डाक द्वारा जमा करके प्राप्त की जाएगी, जो निर्धारित समय से पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंचनी चाहिए । डाक में स्पीड पोस्ट तथा पंजीकृत डाक शामिल है ।
- 7.2 ई-मेल या फैक्स प्रस्ताव निरस्त किए जायेगें ।

## 8. प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि

- 8.1 मुहरबंद बोलियाँ निविदा- सूचना में दिए गए समय एवं निधारित तिथि के बाद नहीं अपितु तालिका-2 में निर्धारित पते पर प्राप्त होगी । निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं होगा । अतः ऐसी बोलियाँ निरस्त कर दी जाएगी तथा बोलीदाताओं को बिना खुले ही उन्हें वापिस कर दिया जाएगा ।
- 8.2 बोली प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, प्रस्तावों को अगले कार्यालय दिवस पर तय समय तक लिया जाएगा ।

### 9 प्रस्ताव में संशोधन एवं वापसी

9.1 बोलीदाता अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद वापिस ले सकते हैं बशर्ते वापिसी की लिखित सूचना प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा निर्धारित समय से पहले ब्यूरो को प्राप्त हो ।

- 10. बोली दस्तावेज की विषयवस्तु
- 10.1 बोलियां द्वि –बोली पद्धति (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) में आमंत्रित की जाती है । पूर्ण बोली 'डॉक्टर को आबंध करने हेतु बोली' लिखकर मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें ।
- 10.2 लिफाफे में निम्नलिखित हों :

लिफाफा सं01 (तकनीकी बोली) : इसमें निम्नलिखित वाणिज्यिक शर्तों एवं निबंधनों सहित सभी तकनीकी विवरण शामिल किए जाए :

- क) नाम, अर्हता,पत्राचार का पता,टेलीफोन नंबर,ई-मेल इत्यादि संबंधी विवरण (तालिका-5)
- ख) डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि जमा (ई एम डी);
- ग) वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति;
- घ) पेन-कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति;
- ड) अर्हताओं संबंधी प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ;
- च)अनुभव संबंधी दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियाँ;
- छ) सभी संलग्न दस्तावेजों की सूची।

लिफाफा सं0 2 (वित्तीय बोली): इस लिफाफे में तालिका -3 के अनुसार यथा-निर्धारित उपलब्ध कराई जाने वाली परामर्शी सेवाओं हेतु दरें, विधिवत् भरी एवं बोली के निर्धारित स्थान पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित हो।

- 11. बोलीदाता द्वारा ध्यान रखे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण बिंदु :
  - क) वित्तीय बोली यथोचित स्थान पर शब्दों में तथा अंकों में लिखी जाए । दी जाने वाली दरों में सभी कर शामिल किए जाए,यदि कोई हो ।
  - ख) बोली दस्तावेज में कहीं पर भी कोई परिवर्तन एवं परिवर्द्धन की अनुमित नहीं होगी । यदि ऐसा कहीं पाया गया तो बोली तत्काल निरस्त कर दी जाएगी । बोली दाता को प्री बिड कांफ्रेंस में अपने संदेह स्पष्ट कर लेने चाहिए।
  - ग) बोलीदाता तालिका-1 में निर्धारित हर एक एवं प्रत्येक शर्त को संतुष्टिपरकता के साथ अपनी बोली में प्रस्तुत करे, ऐसा न कर पाने पर बोली के निरस्त होने की संभावना है । कंडीशनल बोली को निरस्त कर दिया जाएगा ।

### 12 बोली खोलना

12.1 निविदा सूचना में निर्धारित समय एवं तिथि से पूर्व प्राप्त बोली को तालिका -2 में दर्शाये अनुसार आफिस में निर्धारित कार्यक्रमानुसार तिथि एव समय पर खोला जाएगा । (यदि संभव हो ), बोलीदाताओं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो खुलने के दिन तथा निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का चयन करें।

- 13 बोलीदाताओं की लघुसूचीयन
- 13.1 ब्यूरो तकनीकी तौर पर क्वालीफाई करने वाले बोलीदाताओं का लघुसूचीयन करेगा तथा तकनीकी बोलियों में क्वालीफाई करने वाले ही बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएगी तथा उन्हें इस संबंध में तिथि तथा समय के बारे में सूचित किया जाएगा।
- 14 वित्तीय बोलियों को खोलना
- 14.1 ब्यूरो निर्धारित तिथि को लिफाफा सं0 2 खोलेगा तथा दर-तालिका (तालिका-3) में बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों को पढ़कर सुनाया जाएगा।
- 15 बोली की स्वीकार्यता
- 15.1 ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता की जाएगी । ब्यूरो न्यूनतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाघ्य नहीं है । ब्यूरो किसी या प्राप्त सभी बोलियों को, जो भी हो, बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सफलतम बोलीदाता को बोली की स्वीकार्यता के संबंध में सूचित किया जाएगा ।

## 16 पर्फोर्मेंस –सिक्योरिटी

16.1 संविदा के कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ब्याज-मुक्त पर्फोर्मेंस-सिक्योरिटी, तालिका -2 में दर्शाये अनुसार राशि, संविदा देने के लिए, उनके पंजीकरण स्तर को ध्यान रखे बिना सफलतम बोलीदाता से प्राप्त की जाएगी । पर्फोर्मेंस –सिक्योरिटी को 'भारतीय मानक ब्यूरो' के पक्ष में 'नई दिल्ली' में देय अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लिया जाएगा ।

## 17 संविदा दस्तावेज का निष्पादन

- 17.1 पर्फोर्मंस –सिक्योरिटी को जमा करने के बाद सफलतम –बोलीदाता को रू0100/- के स्टांप-पेपर पर डुप्लीकेट प्रति में निविदा दस्तावेज की तालिका 4 के अनुसार एक करारनामा निष्पादित करना अपेक्षित है। करारनामा बोली की स्वीकार्यता की तिथि से 7 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । संविदा करारनामा, संविदा की शर्तों एवं सीओसी में निर्दिष्ट अनुसार अन्य दस्तावेजों द्वारा चलाया जाएगा ।
- 17.2 सफलतम बोलीदाता हेतु करार संबंधी स्टांप इ्यूटी, वैधानिक एवं संवैधानिक खर्चों को निष्पादन करने की तिथि को यथा लागू भुगतान करना आवश्यक होगा।
- 18 ब्यूरो के अधिकार
- 18.1 निविदा दस्तावेज में किसी खंड या संविदा संबंधी शर्तों की व्याख्या में, संदेह की स्थिति में, ब्यूरो द्वारा खंडों की व्याख्या सभी पक्षों के लिए अन्तिम एवं बाध्य होगी।
- 19 संविदा के भागों को बनाने संबंधी नोटिस
- 19.1 निविदा सूचना एवं ये निर्देश संविदा के भाग बनेंगे।

### तालिका-1 संविदा के निबंधन

## <u>परिभाषा</u>

- 1. इस संविदा में, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दावली को यथा दर्शाये अनुसार परिभाषित किया जाएगा :
  - क) 'परामर्शदाता' से तात्पर्य है संविदा में बचनबद्ध व्यक्ति तथा व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि शामिल है जो भी मामला हो, तथा ऐसे व्यक्ति को सुपुर्दगी के लिए अनुमति ।
  - ख) 'संविदा' से तात्पर्य तथा इसमें शामिल निविदा सूचना, बोलीदाताओं संबंधी निर्देश, संविदा की शर्तें एवं निबंधन, स्वीकार्यता पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ किए गए परस्पर प्राधिकृत पत्राचार में परस्पर स्वीकार्य शर्तें तथा संविदा के भाग में बनाए गए अन्य कोई दस्तावेज।
  - ग) 'संविदा राशि' से तात्पर्य है उनकी बोली में परामर्शदाता द्वारा दी गई तथा ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य उद्धरित राशि ।
  - घ) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है इस संविदा के अंतर्गत ब्यूरो की ओर से कार्य करने के लिए ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
  - ड.) 'सरकार' से तात्पर्य है केंद्रीय सरकार
  - च) 'ब्यूरो' से तात्पर्य भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरों से हैं।
  - छ) 'महानिदेशक' से तात्पर्य ब्यूरो के महानिदेशक से है, इसमें इस कार्यालय के समय-समय पर कार्यधारक तथा उसके उत्तराधिकारी तथा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी सम्मिलित है।
  - ज) 'अनुमोदित' से तात्पर्य है पिछले मौखिक अनुमोदन के उत्तरवर्ती पुष्टिकरण सहित लिखित में अनुमोदित तथा पूर्वोक्त अनुसार सहित लिखित में अनुमोदन का भी 'अनुमोदन' से तात्पर्य होगा ।
  - झ ) 'निविदा' से तात्पर्य है परामर्श उपलब्ध कराने के लिए तय दर के प्रस्ताव हेतु भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण
  - ज) 'बोली' से तात्पर्य है स्वीकार्यता पत्र द्वारा यथा स्वीकार्य, संविदा के उपबंध के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर परामर्शी सेवाओं हेतु ब्यूरो को प्रस्ताव देने के लिए परामर्श की दरें।
  - ट) 'स्वीकार्यता-पत्र' से तात्पर्य है ब्यूरो द्वारा औपचारिक स्वीकार्यता ।
  - ठ) 'आरम्भ तिथि' से तात्पर्य उसकी परामर्श सेवाओं को जिस दिन से उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्राप्ति है ।

## <u>संविदा संबंधी पक्ष</u>

- संविदा के पक्ष ब्यूरो तथा वे परामर्शदाता होंगे, जिनके प्रस्ताव ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य हों ।
- 3. प्रस्ताव या अन्य प्रलेख, जो संविदा का भाग है, पर अन्य व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर तैयार करने वाले व्यक्ति को संविदा संबंधी सभी मामलों में, जैसा भी मामला हो, बाध्यता युक्त प्राधिकारी माना जाएगा । यदि यह पाया

जाता है कि संबंधित व्यक्ति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है तो ब्यूरो अन्य किसी सिविल/क्रिमिनल उपचार के कारण बताए बिना संविदा समाप्त कर सकता है तथा ऐसे समापन के लिए सभी खर्चे तथा नुकसान के लिए हस्ताक्षारकर्त्ता को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

### संविदा दस्तावेज

- 4. संविदा तैयार करने के लिए विभिन्न संविदा दस्तावेज जो संविदा के भाग हैं, , अन्य द्वारा दूसरे पक्ष को परस्पर विस्तार से बताए जाएंगे, लेकिन इनके संदेहों एवं विसंगतियों के मामले में ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बताएं एवं सुमेलित किए जाएंगे । इस संबंध में वह परामर्शदाता को आवश्यक निर्देश जारी करेगा तथा इस मामले में जब तक अन्यथा उपलब्ध न हो संविदा में नियमानुसार संविदा में तैयार दस्तावेजों को संविदा मं प्राथमिक तौर पर रखा जाएगा ।
  - क) करार (तालिका-4)
  - ख) प्री-बिड बैठक के कार्यवृत्त, स्पष्टीकरण
  - ग) संविदा के निबंधन
  - घ) निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज
  - ङ) स्वीकार्यता-पत्र
  - च) संविदा के संबंध में पक्षों के बीच हुए परस्पर अन्य काई पत्राचार
  - छ) परामर्शदाता का प्रस्ताव

## उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के प्रकार

- 5. परामर्शदाता द्वारा सेवाओं के निम्नलिखित प्रकार उपलब्ध कराए जाएंगे;
  - क) सभी कार्यालयीन दिवसों में 1400 बजे से 1700 बजे तक भा मा ब्यूरो परिसर में क्लिनिक में परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा ।
  - ख ) अपेक्षित फर्नीचर एवं प्रतिदिन प्रयोग के अन्य छोटे उपकरणों सहित ब्यूरो द्वारा क्लिनिक परिसर में उपलब्ध कराया जाएगा ।
  - ग) नियुक्त परामर्शदाता केवल भा मा ब्यूरो मुख्यालय के कर्मचारियों का उपचार करेगा तथा भा मा ब्यूरो परिसर में अन्य परामर्श हेतु बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - घ ) परामर्शदाता भा मा ब्यूरो द्वारा जारी/उपलब्ध कराया गया मेडिसन संबंधी एक रजिस्टर रखेगा ।
  - ड ) परामर्शदाता किसी भी प्रकार की छुटटी का हकदार नहीं होगा । छुटटी को डयूटी से अनुपस्थिति माना जाएगा तथा समानुपातिक आधार पर किये गये भुगतान से इसे काटा जाएगा ।
  - च) संविदा की चालू अविध के दौरान परामर्शदाता किसी भी उप-परामर्शदाता को नहीं नियोजित करेगा, न ही किसी को संविदा का हस्तातंरण करेगा।

## भुगतान शर्ते

6. सेवाओं हेत् भ्गतान संत्ष्टिपरक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखकर किया

- इस संविदा के तहत बिल परामर्शदाता द्वारा डुप्लीकेट प्रतियों में तैयार किया जाएगा । बिलों एवं संविदा से उत्पन्न अन्य दावों के भुगतान परामर्शदाता के नाम पर आहरित अकाउंट पेयी चैक द्वारा तथा परामर्शदाता के बैंक खाता में सीधे किया जाएगा । भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों की शर्ताधीन रहेगा अर्थात प्रस्तुत प्रत्येक बिल की कुल राशि से, लागू दरों पर कर/प्रभार सहित स्रोत पर कर काटने के बाद किया जाएगा ।
- 8. भा माब्यूरो के पास किसी भी राशि को बनाए रखने या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है जो किसी भी दावे के अंतर्गत परामर्शदाता के कारण समय-समय पर हो सकता है जो इसके तहत या किसी अन्य संविदा/करार के तहत हो सकते हैं।

## संविदा समापन/निलंबन

- 9. ब्यूरो के पास परामर्शदाता द्वारा इस संविदा की शर्तों एवं निबंधनों के किसी भाग को तोड़ने, अपर्याप्त सेवा देने या कदाचार करने पर परामर्शदाता को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय इस संविदा को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की छूट होगी जिसके संदर्भ में ब्यूरो का निर्णय अंतिम होगा तथा इसके कारण परामर्शदाता किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।
- 10. परामर्शदाता की ओर से कोई चूक होने की स्थिति में, इस संविदा के तहत परामर्शदाता की ओर से सेवा दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ रहने के परिणाम स्वरूप हुई किसी चूक को इसे गम्भीर चूक समझा जाएगा । उन पर यह चूक निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हो सकती है :-
  - क) ब्यूरो के विचार में, परामर्शदाता ने संविदा को छोड़ दिया है।
  - ख) बिना किसी समुचित कारण के इस संविदा के अर्न्तत सेवाएं देने में विफल रहा है।
  - ग) ब्यूरो की ओर से पहले चेताविनयां देने के बावजूद, लिखित में या अन्यथा अपने दायित्वों के किसी भाग के पालन में निरंतर या घोर अवहेलना
  - घ) ब्यूरो के विवेकानुसार निर्णय के आधार पर संविदा के तहत सेवाओं के पालन करने में परामर्शदाता भ्रष्ट या धोखाधड़ी के कार्यों में लिप्त पाया जाता है।

## <u>ब्यूरो द्वारा समाप्ति</u>

11. बिना कोई कारण बताए तथा ऐसे समाप्ति से होने वाले परामर्शदाता के नुकसान के लिए बिना देयता के किसी भी समय इस करार को ब्यूरो द्वारा समाप्त करना भी कानूनी होगा, समाप्ति के लिए ब्यूरो द्वारा लिखित में 15 दिनों का नोटिस परामर्शदाता को देगा । ऐसा किसी भी प्रकार की समाप्ति संविदा के तहत ब्यूरों के अन्य किसी अधिकार पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा ।

## परामर्शदाता की समाप्ति का अधिकार

- 12. यदि संविदा अविध की समाप्ति से पूर्व संविदा को समाप्त करने का निर्णय परामर्शदाता लेता है तो परामर्शदाता को 30 दिनों की अग्रिमता सूचना देनी होगी।
- 13. यदि परामर्शदाता 30 दिनों की पूर्व सूचना के बिना करार समाप्त करता है, तो पूरी पर्फोर्मेंस-सिक्योरिटी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी ।

## पर्फोर्मेंस -सिक्योरिटी

- 14. संविदा की देय कार्यकारिता को सुनिश्चित करने के लिए, तालिका -2 में पिर भाषित व्याजमुक्त- पर्फोर्मेंस –िसक्योरिटी परामर्शदाता द्वारा जमा की जाएगी जो 'भारतीय मानक ब्यूरो' के पक्ष में 'नई दिल्ली' में देय एक एकाउंट पेयी डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में होगी ।
- 15. सभी संविदा दायित्वों की पूर्णता की तिथि के बाद 60 दिनों की अविध के लिए पर्फोर्मेंस –िसक्योरिटी वैध रहेगी ।
- 16. इस संविदा या अन्य किसी लेखा की शर्तों के तहत परामर्शदाता से किसी प्रकार की देय वसूली योग्य राशि, सिक्योरिटी जमा राशि से काटी जाएगी । यदि किसी ऐसी कटौती की वजह से सिक्योरिटी जमा राशि कम रहती है, तो परामर्शदाता ब्यूरो से डिमांड-नोटिस की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर कम राशि को जमा करेगा।
- 17. यदि, इस संविदा की अविध के दौरान, परामर्शदाता देयताओं के भुगतान में चूकता है तथा इस संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में ईमानदार कार्यकारिता या फाइन, जुर्माना एवं परामर्शदाता से अन्य किसी प्रकार की बकाया राशि की वसूली में चूक करता है तो ब्यूरो अपने अन्य अधिकारों तथा इसके तहत उपचारों पर बिना कोई प्रभाव डाले या लागू कानून में, पर्फोर्मेंस –िसक्योरिटी को वापिस लेने, बनाए रखने तथा समुचित करने का हकदार रहेगा।
- 18. हानि, नुकसान, लागत, प्रभार एवं पूर्वोक्त खर्चों जैसी वस्लियों यदि पर्फोर्मेंस— सिक्योरिटी की राशि से अधिक हो जाती है तो परामर्शदाता से मुकदमें के द्वारा या ऐसे ही किसी तरीके से वस्ली करने के लिए ब्यूरो को इसमें दर्शाई गयी कोई भी कार्यवाही करन से नहीं रोकेगा।
- 19. किसी विवाद की स्थिति में तो जब तक दोनों पक्षों के बीच ब्यूरो की पूर्ण संतुष्टि तक मामला निपट नहीं जाता तो सभी विवादों के निपटारे तक पर्फोर्मेंस –सिक्योरिटी को जमा रखा जायेगा । बशर्ते परामर्शदाता पर ब्यूरो का कोई बकाया दावा न हो तो इस संविदा की पूर्णता की तिथि या समाप्ति से 60 दिनों के भीतर ब्यूरो द्वारा परामर्शदाता को पर्फोर्मेस –सिक्योरिटी लौटा दी जाएगी ।

### विवाद एवं मध्यस्थता

- 20. ब्यूरो एवं परामर्शदाता संविदा के तहत या इससे जुड़े दोनों के मध्य उत्पन्न किसी भी असहमति या विवाद सीधे अनौपचारिक चर्चा के द्वारा इसे हरसंभव सुलझाने की कोशिश करेंगे।
- 21. यदि किसी भी प्रकार का विवाद, जो भी हो, नहीं सुलझता है तो इसे ब्यूरो द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भेजा जाएगा । भारतीय मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के उपबंध लागू होंगे ।

## तामील किए जाने वाले नोटिस का प्रकार

- 22. पक्षों के मध्य पत्राचार, जिनका इस संविदा में संदर्भ है, तभी प्रभावी होंगे जब वे लिखित में हो । नोटिस तभी प्रभावी होंगा जब उसकी सुपुर्दगी हो जाए । (भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार )
- 23. संविदा में जब तक अन्यथा विदित न हो ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी नोटिस जारी किए जाएंगे । यदि परामर्शदाता के ज्ञात अंतिम स्थान या निवास या व्यवसाय के पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है तो तारीख पर इसे प्राप्त हुआ समझ लिया जायेगा । जब सामान्य डाक से भेजा गया तो तारीख पर या इसकी सुपुर्दगी पर तामील हुआ समझ लिया जाएगा।

### प्रचार

24. यदि परामर्शदाता द्वारा किए गए किसी भी प्रचार में ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो यह ब्यूरो से स्पष्ट लिखित अनुमति लेने के बाद ही किया जाए ।

## शासकीय भाषा

25. सम्पूर्ण संविदा एवं इसके पत्राचार के लिए शासकीय भाषा केवल अंग्रेजी/हिन्दी होगी ।

### <u>कानून</u>

26. संविदा भारतीय कानून के तहत शासित एवं परिभाषित की जाएगी।

## <u>कानूनी क्षेत्राधिकार</u>

27. संविदा की कार्यकारित या भंग संबंधी कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाहियाँ परामर्शदाता द्वारा केवल दिल्ली के स्थानीय सक्षम कोर्ट वाले क्षेत्राधिकार में किए जाऐगें।

## <u>स्टाम्प डयूटी</u>

28. परामर्शदाता संविदा संबंधी सभी प्रकार के स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण प्रभारों का भुगतान वहन करेगा ।

## तालिका -2 निर्देश विशिष्टि एवं संबंद्ध तकनीकी विवरण

- 1. योग्य बोलीदाताः बोलीदाता के पास
  - i) न्यूनतम अर्हता एम डी होना चाहिए
  - ii) भारत में किसी राज्य का चिकित्सा पंजीकरण प्रमाणपत्र या एम सी आई होना चाहिए ।
  - iii) चिकित्सा परामर्श हेतु अस्पताल/पी एस यू/ आटोनोमॅस बॉडी इत्यादि या व्यक्तिगत मेडिकल प्रैक्टीशनर के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ।
- 2. संविदा की प्रस्तावित वैधता : एक वर्ष जिसे कार्यकारिता के आधार पर आगे वर्षों के लिए (वार्षिक आधार पर ) बढ़ाया जा सकता है ।
- निविदा दस्तावेजों की उपलब्धताः
   स्थानः प्रशासन विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा सं0 505,
   'मानकालय', 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002
   अविधि : <u>04-03-2014</u> से <u>26-3-2014</u>
- 4. प्री-बिड कांफ्रेंस: दि0 19-3-2014 (बुधवार) को 1500 बजे तक निदेशक (प्रशासन), भारतीय मानक ब्यूरो, कक्ष सं0 505, मानकालय, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002 के कार्यालय में
- 5. बोलियों के प्रस्तुतीकरण हेतु विधि रीति 'तकनीकी बोली' एवं 'वित्तीय बोली' रखने वाले दो लिफाफों के लिए एक लिफाफा जिस पर पार्टी का नाम एवं पता लिखा हो और वह 'निदेशक (प्रशासन), भारतीय मानक ब्यूरो, 'मानकालय', 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 को संबोधित हो । बोली को दि0 26 मार्च 2014 (बुधवार) तक 1500 बजे तक निदेशक (प्रशासन), भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा सं0 505, मानकालय, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के आपिफस में पहुँचायें।
- बयाना राशि जमा रू० 5,000/-(रू० पांच हजार केवल)
- 7. पर्फोर्मेंस –सिक्योरिटी जमा : संविदा देने की 12 माह की अविध के कुल मूल्य का पांच प्रतिशत
- 8. बोलियों की वैधता : तकनीकी बोली के खुलने की तिथि से 60 दिन तक
- 9. बोलियाँ खोलनाः तकनीकी बोली दि० २६ ०३ २०१४ (बुधवार) को १५३० बजे निदेशक (प्रशासन विभाग), भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा संख्या ५०५, 'मानकालय', 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ११०००२ के कार्यालय में खोली जाएगी । वित्तीय बोली खुलने की तारीख बोली के तकनीकी मूल्यांकन के बाद निर्णित होगी।

# तालिका-3 दर तालिका

क्रमाक	विवरण	परामशेदाता द्वारा दरे उदर	दृत की जा
1	परामर्श	सेवाएं रू०	प्रतिमाह
		(रूपये	प्रतिमाह
दिनांक		स्टाम्प सहित परामर्शदाता के ह	स्ताक्षर
स्थान		नाम/पता	

## तालिका -4 संविदा प्रपत्र

#### करार

निदेशक(प्रशासन) ( जिसे बाद में 'बी आई एस' कहा गया है) के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली की अभिव्यिक्त के माध्यम से, जब तक प्रसंग में वर्जित या प्रतिकूल न किया जाए, कार्यालय मं उनके उत्तराधिकारी एवं इस पक्ष की ओर से सौंपे गए सम्मिलत समझें जायेंगें तथा डॉ------(डॉक्टर का आवासीय पता), जिसे आगे 'परामर्शदाता' कहा गया, जिसकी अभिव्यक्ति उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, वारिस, वैधानिक प्रतिनिधि एवं अन्य पक्ष की ओर से सुपुर्दगी शामिल समझे जाएेंगें जब तक प्रसंग में वर्जित या प्रतिकूल न हो, इन दोनों के मध्य यह करार दि0------- 2014 को ------ के दिन किया गया

जबिक भा मा ब्यूरो चिकित्सीय परामर्श संबंधी कार्य सौंपने का इच्छुक है तथा परामर्शदाता इसके साथ संलग्न संविदा की शर्तों में यथा दर्शाई गई शर्तों एवं निबंधनों पर, जिस तारीख को करार हस्ताक्षरित किया गया उस दि0----- से शुरू करके एक वर्ष की अविध हेतु भा मा ब्यूरो के निर्देशों के अनुसार भा म ब्यूरो को चिकित्सीय परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।

परामर्शदाता को रू0----- प्रतिमाह की राशि दी जाएगी तथा वह उपरोक्त समेकित पारिश्रमिक को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के लाभ के हकदार नहीं होंगे। दोनों पक्ष यहाँ दर्शाई गई शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन के लिए सहमत है:

(परामर्शदाता के हस्ताक्षर)	(ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के
	हस्ताक्षर)
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
पता	ਧਗ
	ब्यूरो की मुहर
साक्षी:	साक्षी:
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
साक्षी का नाम	साक्षी का नाम
पता	ਧਗ

# <u>तालिका-5</u>

बोलीदा	ताओं द्व	द्वारा भेजे जाने वाले ब्यौरे	
1	परामर्शदाता का नाम :		
2	2 परामर्शदाता के विवरण :		
	क) प	प्रत्राचार हेतु पताः	
	ख) दे	वैधता तिथि सहित पंजीकरण के वि	वेवरण:
	ग) 3	भहेता :	
	ម) 3	भनुभव	
	ड ) टे	लिफोन/मोबाईल नं0	
	ई-मेल		
	4 परामर्शदाता का पैन नं0		
5	-	डी ड्रॉफट सं0/ तिथि	
	एवं बैंव	क का नाम	
यह प्रव	माणित	किया जाता है, कि मेरी सर्वोत्तव	म जानकारी एवं विश्वास के अनुसार
उपरोक्त	त तथ्य	। सही, पूर्ण एवं सही हैं । यह	भी प्रमाणित किया जाता है, कि मैंनें
निविदा सूचना की शर्तों एवं निबंधनों को पढ़ एवं समझ लिया है।			
मैं एक वचन पत्र देता हूँ तथा निविदा की सभी शर्तों एवं निबंधनों के लिए मैं बिना			
शर्त एवं स्पष्टतः स्वीकार्यता देता हूँ तथा इन शर्ती एवं निबंधनों का पालन करने हेतु			
सहमत हूँ ।			
सलग्नकः			
रारगण्य	ч.		
दिनांक	:		(परामर्शदाता का नाम एवं हस्ताक्षर)
स्थान:			

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS 9, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG NEW DELHI - 110 002

\*\*\*\*

Ref: Admn/02/04/2004 Date: 4<sup>th</sup> March 2014

### **Notice Inviting Tender**

### Subject:-Tender for "Engagement of a Doctor"

### 1. Notice inviting Bids

1.1 Sealed Bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid), are invited by the Bureau of Indian Standards (BIS), from eligible Doctors for providing their services including consultation, providing emergency medical services, minor surgical treatment, first-aid/dressing etc. to all BIS employees from 1400 H to 1700 H on all working days (Monday to Friday) at BIS HQs, New Delhi.

#### 2. Issue of Tender Document

- 2.1 The blank Tender document will be available during the period indicated in the **Schedule-2**, during the office hours.
- 2.2 The Tender document can also be downloaded from the website of the Bureau (www.bis.org.in).
- 2.3 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.
- **3.** Language of Bid/Contract: The language of the Bid shall be in English/Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English/Hindi language
- 4. Validity of Bids
- 4.1 The Bid will be valid for 60 days from the date of its opening.

#### 5. Earnest Money/ Bid Security

- 5.1 The Bidder shall deposit with the Bureau a sum indicated in the **Schedule-2**, as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Bureau of Indian Standards.
- 5.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the Bid and the Bureau shall exclude from its consideration such disqualified Bid(s).
- 5.3 Bidder shall not revoke his Bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it, shall stand forfeited to the Bureau without prejudice to its other rights and remedies and the Bidder shall be disentitled to submit a Bid to the Bureau for such services during the next twenty-four (24) months effective from the date of such revocation.
- 5.4 If the successful Bidder does not pay the Performance Security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, its Earnest Money Deposit will be forfeited by the Bureau.
- 5.5 The Earnest Money of unsuccessful Bidder shall be refunded after the successful Bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the contract or within thirty (30) days of the expiry of validity period of Bids, whichever is earlier.

#### 6. Eligible Bidders

6.1 Only those Bidders, who fulfill the eligibility criteria as mentioned in the **Schedule-2**, are eligible to submit their Bids for the services.

#### 7. Manner of Submission of Bid

- 7.1 The complete Bid will be received as indicated in the **Schedule-1**, by depositing the same through the Bid Box or by post, which reaches the specified place before the specified time. Post includes Speed Post, Registered Post.
- 7.2 E-mail or fax offers will be rejected.

#### 8. Last Date for Submission

- 8.1 Sealed Bids shall be received at the address specified in **Schedule-2** not later than the time and date specified in the Tender Notice. Bids received after the specified date and time shall not be considered. Hence, such bids shall be rejected and returned unopened to the Bidder.
- 8.2 In the event that the specified date for the submission of Bid offers is declared a holiday, the offers will be received up to the appointed time on the next working day.

#### 9. Modification and Withdrawal of Offer

9.1 The Bidder may withdraw its offer after its submission, provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.

#### 10. Contents of Bid Document

- 10.1 Bids are invited in two-bid system (Technical bid and Financial bid). The completed Bid shall be submitted in sealed envelopes super-scribing "Bid for engagement of Doctor."
- 10.2 The envelopes shall contain the following:

**Envelope No.1 (Technical Bid):** This should contain all technical details along with the commercial terms and conditions such as:

- a) Details with regard to name, qualifications, address for communication, telephone number, e-mail etc. (**Schedule-5**);
- b) The EMD in the form of demand draft;
- c) Self Attested copy of the valid registration certificate;
- d) Self Attested copy of Pan Card;
- e) Attested copy of Certificate with regard to qualifications;
- f) Self Attested copies of documents in support of Experience; and
- g) List of all the documents enclosed.

**Envelope No.2 (Financial Bid):** This envelope shall contain the price for the consultancy services to be provided at specified place as per **Schedule-3**, duly filled in and signed by the Bidder at prescribed places of the Bid.

**11.** Other Important Points to be noted by the Bidder

- a) The Financial Bid should be written both in words and figures at appropriate places. The rates to be quoted shall be inclusive of all Taxes, if any.
- b) No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected. The Bidder should get its doubts cleared during pre-bid conference only.
- c) The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid down in **Schedule-1**, failing which the Bid shall be liable to be rejected. <u>Conditional Bids will be rejected</u>.

### 12. Opening of Bid

12.1 The Bid received before the time and date specified in Tender Notice, will be opened as per the specified scheduled date and time in the office as mentioned in the **Schedule-2** (if possible), in the presence of Bidders or their authorized representatives who choose to remain present on the opening day, at the scheduled time.

#### 13. Shortlisting of Bidders

13.1 The Bureau will short-list technically qualifying Bidders and Financial Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened at a date and time to be intimated.

#### 14. Opening of Financial Bids

14.1 The Bureau shall open Envelope No. 2, on notified date, and the rates quoted by the bidder in price schedule (**Schedule-3**) shall then be read out.

#### 15. Acceptance of Bid

15.1 Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the Bureau. The Bureau is not bound to accept the lowest or any Bid. The Bureau reserves the right to reject any or all Bids received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the Bureau.

#### 16. Performance Security

16.1 To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, for an amount as indicated in Schedule-2, will be obtained from the successful bidder awarded the contract, irrespective of its registration status, etc. Performance Security will be furnished in the form of an Account payee Demand Draft in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at 'New Delhi'.

#### 17. Execution of Contract Document

17.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security, is required to execute an Agreement as per **Schedule-4** of the tender document in duplicate on a stamp paper of Rs.100/-. The Agreement should be signed within 7 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Conditions of the Contract (CoC) and other documents as specified in the CoC.

17.2 It shall be incumbent on the successful Bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the Agreement, as applicable on the date of the execution.

### 18. Rights of the Bureau

18.1 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in Tender Document or the conditions of the Contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

### 19. Notice to form Part of Contract

19.1 Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

#### **SCHEDULE – 1: CONDITIONS OF CONTRACT**

#### 1. Definitions

#### 1.1 In this Contract, the following terms shall be interpreted as indicated:

- a) **'Consultant'** shall mean the individual undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual as the case may be and permitted assigns of such individual.
- b) 'Contract' shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- c) 'Contract Amount' shall mean the sum quoted by the Consultant in his bid and accepted by the Bureau.
- d) 'Competent Authority' shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- e) 'Government' shall mean the Central Government.
- f) **'Bureau'** shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- g) 'Director General' shall mean the Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- h) 'Approved' shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and "Approval" shall mean approval in writing including as aforesaid.
- i) **'Tender'** means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer fixed price for providing consultations.
- j) 'Bid' means the Consultant's priced offer to the Bureau for the consultancy services at the specified places in accordance with the provision of the Contract, as accepted by the Letter of Acceptance.
- k) 'Letter of Acceptance' means the formal acceptance by the Bureau.
- 'Commencement Date' means the date upon which the Consultant receives the notice to provide his consultancy services.

#### **Parties to the Contract**

- 2. The parties to the contract shall be the Consultant, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.
- 3. The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other person shall be deemed to have due authority to bind such person as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory liable for all costs and damages for such termination.

#### **Contract Documents**

- 4. The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Consultant necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
  - a) The Agreement (Schedule 4)
  - b) Minutes of pre-bid meeting, clarifications
  - c) The Conditions of Contract
  - d) Tender Notice and Tender Document
  - e) Letter of Acceptance
  - f) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
  - g) The Consultant's Offer

### Type of Services to be provided

- 5. The following types of services shall be provided by the Consultant:
  - a) The consultant shall function in the clinic in the BIS premises from 1400 H to 1700 H on all working days.
  - b) Premises for clinic shall be provided by Bureau along with the required furniture and other minor equipment of day to day use.
  - c) The appointed Consultant shall provide treatment to the employees of BIS HQs only and no outsider will be allowed for his/her consultation in the BIS premises.
  - d) The Consultant shall maintain a register with respect to medicine issued/provided by BIS.
  - e) The Consultant shall not be entitled to any leave. The leave shall be considered absence from duty and payment shall be deducted on proportionate basis.
  - f) The Consultant shall not engage any sub-Consultant or transfer the contract

to any other person during the currency of the contract.

#### **Payments Terms**

- 6. The payment towards the services will be made keeping in view the satisfactory performance.
- 7. Bills under this contract shall be prepared in duplicate by the Consultant. The payment of bills and other claims arising out of the contract will be made by Account Payee Cheque drawn in the name of the Consultant/directly in Bank Account of the Consultant. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with Cess/Surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.
- 8. The Bureau reserves the rights to retain and set off against any sum which may be from time to time due to the Consultant under any claim, which the Bureau may have under this or any other Contract/Agreement.

#### **Termination/Suspension of Contract**

- 9. The Bureau shall be at liberty at any time to suspend temporarily this contract on giving 24 hours' notice in writing to the Consultant for breach of any of the terms and conditions of this Contract, insufficient service or misconduct of the Consultant as to which the decision of the Bureau shall be final and the Consultant shall not be entitled to any compensation by reason thereof.
- 10. An event of default on the part of the Consultant, which results from the Consultant being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:
  - a) In the opinion of the Bureau, the Consultant has repudiated the Contract,
  - b) Without reasonable excuse has failed to render Services in accordance with this Contract;
  - c) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
  - d) The Consultant, in the judgment of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.

#### **Termination by the Bureau**

11. It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Consultant may suffer by reason of such termination, by giving the Consultant 15 days' notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

#### Consultant's right to terminate

- 12. If the Consultant decides to terminate the contract before the end of contract period, the Consultant has to give an advance intimation of 30 days.
- 13. If the Consultant terminates the agreement without prior notice of 30 days, then the entire performance security deposit will be forfeited.

#### **Performance Security**

- 14. To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, as defined in **Schedule -2**, shall have to be deposited by the Consultant in the form of an Account payee Demand Draft in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at 'New Delhi'.
- 15. Performance Security will remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations.
- 16. Any amount due/recoverable from the Consultant under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Security Deposit. In case, the amount of Security Deposit is reduced by reason of any such deduction, the Consultant shall, within <u>fifteen (15)</u> days of receipt of notice of demand from the Bureau, make good the deficit.
- 17. If during the term of this Contract, the Consultant is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the Consultant, the Bureau shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.
- 18. Nothing herein mentioned shall debar the Bureau from recovering from Consultant by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.
- 19. The Performance Security shall be retained until all disputes, if any, between both the parties have been settled to the entire satisfaction of the Bureau. The Performance Security shall be returned to the Consultant by the Bureau within sixty days following the Completion Date or Termination Date of this Contract provided that there are no outstanding claims of the Bureau on the Consultant.

#### **Disputes & Arbitration**

- 20. The Bureau and the Consultant shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract.
- 21. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the *Bureau*. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

### **Mode of serving Notice**

- 22. Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
- 23. All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Consultant, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

### **Publicity**

- 24. Any publicity by the Consultant in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

  Governing language
- 25. Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English/Hindi only.

Law

- 26. The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws. **Legal Jurisdiction**
- 27. No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Consultant in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Delhi only.

  Stamp duty
- 28. The Consultant shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

#### SCHEDULE - 2: SPECIFICATION & ALLIED TECHNICAL DETAILS

- **1. Eligible Bidder:** Bidders should:
  - (i) have a minimum of MD qualification
  - (ii) have a Medical Registration Certificate of any State in India or MCI.
  - (iii) have at least 10 years' experience in a Hospital/PSU/Autonomous Body etc for the medical consultancy or as individual medical practitioner.
- **2. Proposed validity of Contract:** One year, which can be extended further for two years (on yearly basis) on the basis of performance.
- 3. Availability of Tender Documents:

Place: Administration Department, Bureau of Indian Standards, Room No. 505, Manakalaya, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.

Period: 04.03.2014 to 26.03.2014

- **4. Pre-bid Conference:** 1500h on 19.03.2014 (Wednesday) in the office of Director (Administration), Bureau of Indian Standards, Room No. 505. Manakalaya, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002.
- Method/manner for Submission of Bids: An envelope having two envelopes containing 'Technical Bid' and "Financial Bid' must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Director (Administration), Bureau of Indian Standards, Room No. 505, 'Manakalaya', 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002". The bid shall reach in the office of Director (Administration), Bureau of Indian Standards, Room No. 505, 'Manakalaya', 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 by 1500 h, 26.03.2014 (Wednesday).
- 6. Earnest Money Deposit: Rs. 5000/- (Rs. Five Thousand only)
- **7. Performance Security Deposit**: Five percent of the total amount payable for 12 months as per the terms of contract.
- **8. Validity of Bids:** 60 days from the date of opening of Technical bid.
- 9. Opening of Bids: Technical bid shall be opened at 1530 h on 26.03.2014 (Wednesday) in the office of the Director (Administration), Bureau of Indian Standards, Room No. 505, 'Manakalaya', 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002. Date of opening of financial bid shall be decided after technical evaluation of the bid.

## **SCHEDULE – 3: PRICE SCHEDULE**

SI. No.	Particulars	Rate to be quoted by the consultant
1.	Consultancy Services	Rs per month
		(Rupees per month)

Date:	Signature of the Consultant with Stamp
Place:	Name/Address

## SCHEDULE – 4: CONTRACT FORM AGREEMENT

THIS AGREEMENT made on this	day of2014 between
Bureau of Indian Standards, New Delhi	through Director (Administration
(hereinafter called the "BIS") through expres	ssion shall, unless excluded by o
repugnant to the context, be deemed to includ	e his successor in office and assign
on the one part AND Dr	(residential Address of the
Doctor), hereinafter called the "Consultant", wh	ich expression shall, unless exclude
or repugnant to the context be deemed to	include their successor, executors
administrators, heirs, legal representatives and a	assigns on the other part.
Whereas BIS is desirous of entrusting the work	of medical consultancy and wherea
the Consultant has agreed to provide medical co	onsultancy services to the BIS as pe
the directions of BIS for a period of one year co	mmencing from
i.e. the date on which the agreement is signe	ed, on the terms and conditions a
indicated in the "Conditions of Contract" which i	s enclosed.
The Consultant shall be paid an amount of Rs	per month and he/sh
will not be entitled for any other benefits ex	cept consolidated remuneration a
above.	
BOTH THE PARTIES HERETO agree to abide	by the terms and conditions a
mentioned in:	by the terms and conditions a
	by the terms and conditions a
<del></del>	
(Signature of Consultant)	(Signature of Authorized Officer of the
Bureau)	(Signature of Authorized Officer of the
Bureau) Name	(Signature of Authorized Officer of the
Bureau)	(Signature of Authorized Officer of the
Bureau) Name Designation	(Signature of Authorized Officer of the  Name  Designation
Bureau) Name Designation	(Signature of Authorized Officer of the  Name  Designation
Bureau) Name Designation	(Signature of Authorized Officer of the  Name  Designation  Address
Bureau)  Name  Designation  Address	(Signature of Authorized Officer of the  Name  Designation  Address  Seal of the Bureau
Bureau)  Name  Designation  Address  Witness:	(Signature of Authorized Officer of the  Name

## SCHEDULE - 5

## **DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS**

1.	Name o	of the Consultant	:	
2.	Details of Consultant:			
	a)	Address for communication	:	
	b)	Registration details with validi	ty date:	
	c)	Qualification	:	
	d)	Experience	:	
	e)	Telephone/Mobile Nos.	:	
3.	E-mail		:	
4.	PAN Nu	umber of the Consultant	:	
5.	EMD D	raft Number/Date & Name of tl	he Bank:	
	This is	to certify that the above fa	icts are t	rue, complete and correct to the
be		•		is certified that I have read and
un	derstoo	od the terms and conditions o	of the Ter	nder Notice.
	I give a	an undertaking and give my	uncondit	ional and unequivocal acceptance
of	all term	ns and conditions of the Tend	der and a	agree to abide by these terms and
со	nditions	5.		
En	cl:			
			(Name	and Signature of the Consultant)
Da	te:			
DIa	CO.			